न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू आरएएस

वाद पत्र संख्या 18/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

रघुवीर पुत्र स्वर्गीय श्री तिलोकाराम जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी चक 7 एफ बड़ा ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

.......वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र श्री नानूराम कौम जाट निवासीयान चक 7 एफ बड़ा तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. बलवन्त सिंह पुत्र श्री मनीराम कौम जाट निवासीयान चक 7 एफ बड़ा तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती गोमती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री तिलोकाराम कौम जाट निवासीयान चक 7 एफ बड़ा तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. कृष्ण कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री तिलोकाराम जाति जाट निवासी सुखचैनपुरा (चक 3 केएसडी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. श्रीमती निर्मला (पुत्री स्वर्गीय श्री तिलोकाराम) पत्नी श्री साहबराम जाति जाट निवासी चक 28 जी बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. श्रीमती तारा देवी (पुत्री स्वर्गीय श्री तिलोकाराम) पत्नी श्री सुरजीत जाति जाट निवासी चक 13 पीटीपी ढाणी, किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय श्री तिलोकाराम जाति जाट निवासी नाहरावाली रोड़, जाट कॉलोनी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
	अधिवक्ता श्री विजयकुमार भाटी	(प्रतिवादी–1ता 7)
	पैरोकार राज	(प्रति.–8)

दिनांक 08.10.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/31 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5/2, 6 ता 10, 15, 16, 25/2 की कुल 2.024 है. मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 है. व मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 2/2, 3, 4, 5 व 6/2 की 0.822 है. कुल 9.171 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से वादी के चाचाजी/प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम पुत्र

संलग्न वाद पत्र है। उक्त कृषि भूमि के वादी दादाजी नानूराम पुत्र कालूराम से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई वादी के पिताजी तिलोकाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम एक साथ संयुक्त परिवार में रिहायश करते रहे है तथा वादी के पिताजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के संयुक्त परिवार में रहने के दौरान उक्त भूमि में काफी सुधार किया गया तथा इसके अलावा संयुक्त परिवार की आय से और भी भूमि वादी के पिताजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बनाई गई । वादी के पिताजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम द्वारा विगत कई वर्षों पूर्व अपनी संयुक्त सम्पति का बंटवारा किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5/2 (0.127 है.) 6 ता 10, 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.645 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी तिलोकाराम को प्राप्त हुई तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादी के पिताजी तिलोकाराम द्वारा उक्त भूमि घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को दे दी गई । वादी उक्त कृषि भूमि की विगत कई वर्षों से भली प्रकार काश्त कर रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि के काबिज काश्त है तथा अपने अपने स्तर पर भूमि में सुधार करके मृदा उर्वरता बढ़ाई है तथा मौका पर इसी विभाजन अनुसार सिंचाई व्यवस्था बनी हुई है इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने अपने अपने रकबा के काबिज काश्त है लेकिन उक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण वादी को अपने रकबा का भली प्रकार उपयोग उपभोग करने में काफी परेशानियो का सामना कर रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 के मन में अब लालच व बेईमानी आ गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम करवाने में आनाकानी कर रहा है जबकि वादी अपना लगान अलग करवाना चाहता है ताकि वादी को राजस्व/लगान अदा करने तथा अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा लेने में भविष्य में परेशानी ना हो। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उक्त खाता का पारस्परिक सहमति से विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू दिनांक 30/01/2020 को सम्पर्क किया तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करने लगा। यही बिनाय मुखास्मत है तथा वादी को, प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। चूंकि वादी के पिताजी तिलोकाराम का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए प्रतिवादी सं. 3 ता 8 को वादी के पिताजी के वारिस होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवदेन किया गया :–

(क) कि चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/31 के मुरब्बा नम्बर 17, 22 व 33 की कुल 9.171 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5/2(0.127 है.) 6 ता 10, 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.645 है. नहरी कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 (मनीराम पुत्र नानूराम) के नाम दर्ज 8791/9171 हिस्सा यानि 8.791 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से कम करने के आदेश दिय।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए ...न तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 31.07.2020 को ...ी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया. जिसमे अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी

सील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या /31 के मुरब्बा नम्बर 17, 22 व 33 की कुल 9.171 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा बर 17 के किला नम्बर 5/20.127 है.) 6 ता 10, 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.645 है. री कृषि भूमि विगत कई वर्षो पूर्व संयुक्त सम्पति के बंटवारा अनुसार वादी रघुवीर पुत्र स्वर्गीय तिलोकाराम को दी हुई है जिस पर रघुवीर काबिज काश्त है। अतः उक्त राजीनामानुसार क 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी म्वत 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/31 क मुरब्धा नपर 17, 22 व 33 की कुल 9. 71 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5/2 (0.127 है.) 6 ता , 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.645 है. नहरी कृषि भूमि वादी रघुवीर पुत्र स्वीय श्री लोकाराम की घोषित की जाकर डिकरी जारी कर दी जावे तथा उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या मनीराम पुत्र नानूराम के नाम दर्ज 8791/9171 हिस्सा यानि 8.791 हैक्टयर कृषि भूमि माबन्दी मुताबिक में से कम करने के आदेश दिये जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 की ओर से दिनांक 11.09.2020 को इकबालिया जवाब दावा त्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 17 के किला म्बर 5/2 (0.127 है.) 6 ता 10, 15 (प्रत्येक में 0.253 है) की कुल 1.645 है. नहरी कृषि भूमि तरदातागण के पिताजी तिलोकाराम को प्राप्त हुई तथा उतरदातागण के पिताजी तिलोकाराम रा घरेलू बंटवारा अनुसार वादी रघुवीर को दे दी गई । अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, व 3 द्वारा किये गये राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो तरदाता को कोई आपति नहीं है। वादी द्वारा वाद पत्र में मांगा गया अनुतोष प्रदान करवाने में तरदाता सहमत है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया ाकर, चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान माबन्दी सम्वत् 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/31 के मुरब्बा नम्बर 17, 22 व 33 ी कुल 9.171 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17. के किला नम्बर 5/2 (0.127) 6 ता 10, 15 (प्रत्येक में 0.253 है) कुल 1.645 है. नहरी कृषि भूमि वादी रघुवीर पुत्र स्वर्गीय ी तिलोकाराम की घोषित की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2019 के अनुसार वादी के पिता तिलोकाराम पुत्र श्री नानूराम के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी ारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम एफ बड़ा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 42/31, वादी द्वारा अपने दादा मनीराम से वादी के पिता नाम विरास्तन इन्ताकल जमाबंदी 8 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला खाता संख्या 19/4 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः पक्षकारान के मध्य हुए पारिवारिक समझौता के आधार पर चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के संयुक्त खाता संख्या 42/31 क मुरबा नंबर 17, 22 व 33 की कुल 9.171 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5/2 (0.127 है.) 6 ता 10, 15 (प्रत्येक में 0.253

पना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर देशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व भिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् क्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम क्या जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें कसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज देनांक 08.10.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर